न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 47/2021 (2021/109)

अपीलान्ट्स

1. सुमेरसिंह पुत्र खुशालसिंह
2. लूणसिंह पुत्र खुशालसिंह
3. मगनसिंह पुत्र खुशालसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम मुकनसर लोड़ता अचलावता, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. दुर्गाराम पुत्र खमाराम
2. भंवराराम पुत्र खमाराम
3. नारायणराम पुत्र खमाराम

जातियान भील, निवासीगण मुकनसर, लोड़ता अचलावता, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

4. सरपंच ग्राम पंचायत लोड़ता अचलावता, पंचायत समिति सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार सेखाला जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध मुकदमा संख्या 01/2021 बअनवान दुर्गाराम बनाम सुमेरसिंह वगैरा में तहसीलदार सेखाला द्वारा दिनांक 26.10.2021 को निर्णय पारित पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री कानाराम गोदारा (अपीलान्टस)।
2. अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह (रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 तक)।

–: आदेश :– दिनांक :–04.08.2022

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा संख्या 01/2021 बअनवान दुर्गाराम बनाम सुमेरसिंह वगैरा में तहसीलदार सेखाला द्वारा दिनांक 26.10.2021 को निर्णय पारित पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी बालेसर को दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गांवो के

संग 2021 शिविर में पेश किया और कथन किया कि सार्वजनिक रास्ता बन्द कर दिया है ग्राम लोड़ता अचलावता में करीब 25 ढाणियां है जिसमें आने–जाने का रास्ता है जिसे खसरा संख्या 03 के खातेदार सुमेरसिंह पुत्र खुशालसिंह वगैरा ने बन्द कर दिया है एवं हमारे आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है उक्त प्रार्थना–पत्र को तहसीलदार सेखाला ने दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 13.10.2021 को रिपोर्ट में बतलाया कि खसरा संख्या 1/2, 3, 4 के माट–माट पर खसरा नं0 1/2 में रास्ता जाना प्रस्तावित है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2021 को आदेश पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर दिया गया, इससे व्यथित होकर यह राजस्व अपील पेश की है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्रसिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस दिनांक 03.08.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने सभी सहखातेदारों को सुनवाई का नोटिस जारी नहीं किया तथा खसरा संख्या 03 ग्राम मुकनसर गैर मुमकिन ढाणी है जो काश्तकारी भूमि नहीं है ऐसे स्थिति में चाहा गया रास्ता गैर मुमकिन जमीन में से कानूनी तौर पर नहीं निकाला जा सकता है अतः तहसीलदार सेखाला ने विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार सेखाला को अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रभावित पक्षकार (भूमि के खातेदार) को सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी प्रकार का आदेश दिये जाने का कोई क्षेत्राधिकार कानूनी नहीं है। इस कारण अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपने खेत खसरा संख्या 2 रकबा 118.08 बीघा के लिए रास्ता खसरा संख्या 1, 3 व 4 में होना बताकर एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपीलार्थीगण के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त पत्र को दिनांक 20.01.2016 को खारिज हो गई। उसके बाद दूसरा प्रार्थना–पत्र अपीलार्थीगण के विरूद्ध अपीलार्थी के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 1/2 व 4 में रास्ता होने का कहकर प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार ने अपीलार्थीगण/अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया जबकि अधिसूचना 7-A, REVENUE(Gr.4)DEPARTMENT NOTIFICATION Jaipur, September14,1982 के अनुसार धारा 251 की उपधारा (1) द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ते के आवेदन भूमि धारकों द्वारा सुखभोग या अधिकार का प्रयोग ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा जिस ग्राम में भूमि स्थित है। इसमें तहसीलदार को मिले आवेदन इस तरह के निपटान के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में विधिवत् दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत को निपटान के लिए अग्रेषित किया जाएगा। जिन मामलों में ग्राम पंचायत 45 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान करने में विफल रहती है तो 45 दिन बाद अधिकार क्षेत्र वाले तहसीलदार को आवेदन वापस लेने की शक्ति होगी तथा तहसीलदार उस आवेदन का निपटान कर सकेगे। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेखाला द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सीधा ही स्वयं के द्वारा निर्णित कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी निरन्तर बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थी के खेत खसरा संख्या 2 में जाने का वैकल्पिक मार्ग पहले से मौजूद है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को केवल परेशान करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में खसरा संख्या 1,3 व 4 में रास्ता बताकर प्रस्तुत किया है, जिसमें धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है।

अपीलान्ट के अभिभाषक ने न्यायिक निर्णय नजीर आर0 आर0 डी0 1973 पेश कर कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत किसी भी प्रभावित खातेदार को पक्षकार बनाना व सुनना जरूरी है। प्रभावित पक्षकार के बयान व उसको पक्ष रखने का समुचित अवसर देना जरूरी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा अपीलार्थीगण द्वारा पेश जवाब की विवेचना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि राजस्थान सरकार द्वारा पारित परिपत्र क्रमांक :प3(17)राज–6/2021पार्ट91 दिनांक 30.09.2021 को जारी किया। जिसके पैरा संख्या 2 में स्पष्ट उल्लेख है कि " जहां रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है तथा कृषक द्वारा परम्परागत रूप से सुखाधिकार के रूप में जिस मार्ग का उपयोग किया जा रहा है उस मार्ग को अवरूद्ध करने का प्रकरण प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

होने पर उसे धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर खुलवाया जावे। इस प्रकार रास्ता खुलवाया जाने हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित एवं कारण सहित आदेश पारित किया जावे। आदेश में रास्ते में अवरोध करने वाले व्यक्ति को भविष्य में अवरोध उत्पन्न नहीं करने लिए पाबन्द किया जावे। इस प्रकार के प्रकरणों में ना तो रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जायेगा और ना ही संबंधित खातेदार/खोतदारों का खातेदारी क्षेत्रफल कम किया जायेगा ''। इससे से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में ऐसी कोई मांग नहीं की है कि रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे और उसकी तरमीम करे। रेस्पोडेन्ट ने मात्र सुखाधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब कर अपीलार्थीगण का जवाब आने के बाद आदेश पारित किया। उपरोक्त परिपत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् आदेश पारित किया गया है अतः अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि रेस्पोडेन्टस् के खेत में आने–जाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पूर्णरूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त फरमावे।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि प्रथमतः अधिसूचना 7-A, REVENUE(Gr.4)DEPARTMENT NOTIFICATION Jaipur, September14,1982 के अनुसार धारा 251 की उपधारा (1) द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रास्ते के आवेदन भूमि धारकों द्वारा सुखभोग या अधिकार का प्रयोग ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा जिस ग्राम में भूमि स्थित है। इसमें तहसीलदार को मिले आवेदन इस तरह के निपटान के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में विधिवत् दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत को निपटान के लिए अग्रेषित किया जाएगा। जिन मामलों में ग्राम पंचायत 45 दिनों के भीतर आवेदन का निपटान करने में विफल रहती है तो 45 दिन बाद अधिकार क्षेत्र वाले तहसीलदार को आवेदन वापस लेने की शक्ति होगी तथा तहसीलदार उस आवेदन का निपटान कर सकेगे। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेखाला द्वारा उक्त नियमों की पालना नहीं की जाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सीधा ही स्वयं के द्वारा लिखित कर द्वितीयतः प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना–पत्र सुखाचार के तहत रास्ता खुलवाने बाबत पेश किया जिसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सेखाला द्वारा दिनांक 11.10.2021 को दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये तथा उसी आदेशिका में बतलाया कि सरपंच प्रस्ताव मय पटवारी हल्का की रिपोर्ट सलंग्न है जबकि पटवारी की मौका फर्द दिनांक 13.10.2021 की है जो संदेहास्पद है। पटवारी हल्का की मौका फर्द दिनांक 13.10.2021 में पटवारी द्वारा बतलाया गया कि मौके पर खसरा नं0 2 के खातेदार दुर्गाराम वगैरा व ग्राम पंचायत लोड़ता अचलावता द्वारा रास्ता खुलवाने हेतु मौके पर पहुंचे। मौका देखा गया जो खसरा नं0 1/2 व 4 की माठ पर खसरा नं0 1/2 में से रास्ता खुलवाया जाना उचित होने पर प्रस्तावित किया जाता है। अतः पटवारी हल्का द्वारा मौका फर्द में स्पष्ट नहीं किया गया कि मौके पर पूर्व में कदीमी रास्ता था या नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित खातेदारों के साक्ष्य व बयान भी दर्ज नहीं किये गये। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य हाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सेखाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौके की वास्तविक रिपोर्ट तलब कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् आदेश पारित करे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के खेत में जाने हेतु कोई अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय होने तक अपीलार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 04.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:53 IST
Reason: SelfAttested